Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Government of India)
Cantonment Board Building Golibar Maidan, Pune-411 001

Gram: "BHAVISHYANIDHI"
Post Box.No:226
E-Mail :rpfcropune@rediffmail.com

Tel.No:020-26444039/26444130
26442635/26444140/26444145
Fax : 26456145

NO.MH/PF/PN/RO/33299/ / 225

DATE: 4/5/06

To,
Vice Chairman,
B.V.G.India Ltd.
10.Devika Height
Shivaji Nagar
PUNE-411 005.

Sub.Change in name in respect of B.V.G.India Ltd.
MH/33299
Ref. BVG/EPF/844 dt.02.04.2006

Sir,

The requist made under the letter to change the name of the estt.from BHARAT VIKAS SERVICES TO B.V.G.India Ltd.has been considered.However the code no. of the estt. Is MH/33299 will remain same.

Yours faithfully,

ASSISTANT P.F.COMMISSIONER,
COMPLIANCE CIRCLE-I,
PUNE.

NOTARY * Mrs.ALPANA SUBHASH RAYTE CHINCHWAD, PUNE 411 019. Reg.No.: 3420 * GOVERNMENT OF INDIA

TRUE COPY

Mrs. ALPANA S. RAYTE
ADVOCATE & NOTARY
GOVT. OF INDIA
Mohan Nagar, Chinchwad, Pune-19.

BVG India Limited Pune

1440

तार : भविष्यनिधि
फॅक्स : (020) 656145

पंजीकृत रसीदी डाक
दूरभाष : 644130
644145
641578
पो. बॉ. नं. : 226

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

उपक्षेत्रीय कार्यालय
पुणे केन्टोन्मेन्ट बोर्ड भवन, गोळीबार मैदान, पुणे

सं. महा/पुणे/ 33299 /प्रव II /2006 दि. 29/2/2000

प्रति,
BHARAT VIKAS SERVICES
Sr 55/1/1/5 ...nagar
Pimple Gurav Pune 27

कोड संख्या महा/पुणे/ 33299

विषय :– कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 एवं तदन्तर्गत विरचित योजनाएँ – उनकी प्रयोज्यता – कोड संख्या आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी समस्त शाखाओं तथा विभागों सहित दिनांक 25/1/2000 से कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 तथा तदन्तर्गत विरचित योजनाओं के अन्तर्गत व्याप्त की गई है। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जाँच-पडताल से ज्ञात होता है कि :-

(i) आपकी फैक्ट्रीमें EM & GE कार्य किया जाता है, जो अनुसूची I में उल्लिखित एक ऐसा उद्योग है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (ए) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 लागू है।

(ii) आपकी स्थापना ______ में वर्गीकृत है, जिसपर भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करते हुए कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 लागू किया गया है।

(iii) आपकी स्थापना/फैक्ट्री द्वारा चलाई जा रही गतिविधियाँ न तो अनुसूची I में उल्लिखित उद्योग है और न ही अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अंतर्गत उल्लिखित स्थापना वर्ग है। अत: आपकी स्थापना / फैक्ट्री अवर्गीकृत रखी गई है।

1-ए- कृत जाँच-पडताल/उपलब्ध जानकारी के आधारपर तथा आपके पूर्वावधि के रिकार्ड के सत्यापन की शर्तपर यह व्याप्ति अनन्तिम है।

1-बी- अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 स्वैच्छिक आधार पर लागू करने के लिए प्राप्त आपके आवेदन पत्र क्र. ______ दि. ______ के संदर्भ मे कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 1 की उपधारा (4) में विहित अधिकारों के अंतर्गत भारत सरकार/केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए आपकी स्थापना को व्याप्त कर कोड संख्या महा/पुणे/______ आवंटित की गई है।

1-सी- कोड संख्या महा/पुणे/ 33299 आपको कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 एवं तदन्तर्गत विरचित योजनाओं के प्रावधानों के अनुपालन करने के उद्देश्य से आवंटित की गई है। इस कार्यालय के साथ किए जाने वाले प्रत्येक पत्राचार में उक्त कोड संख्या का उल्लेख अनिवार्यत: किया जाए।

(2) आपसे अपेक्षा की जाती है कि, यदि आप पहले से अनुपालन नही कर रहें है तो दिनांक 25/1/2000 से कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, दिनांक 25/1/2000 से पेंशन योजना एवं दिनांक 25/1/2000 से निक्षेप सहबध्द बीमा योजना के प्रावधानो का अनुपालन करें। G

(3) कर्मचारी भविष्यनिधि योजना 1952 के पैरा 26 के अनुसार फैक्ट्री/स्थापना में कार्यरत अथवा फैक्ट्री/स्थापना के संबंध मे कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

(4) (i) नियोक्ता द्वारा दिया जानेवाला अंशदान, प्रतिमाह, प्रति कर्मचारी, को देय मूलवेतन, महँगाई भत्ता (खाद्यान्न-रियायत के नगद भुगतान सहित) एवं अन्य भत्ते, यदि हों, के ~~10%~~ / 12% की दर से होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान, नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान रहेगा।

(ii) अंशदान की गणना माह के दौरान दिए गए वास्तविक मूलवेतन, महँगाई भत्ता आदि के आधारपर की जाएगी चाहे वह भुगतान दैनिक, साप्ताहिक, पखवाडा या मासिक के आधारपर किया गया हो।

(iii) प्रत्येक अंशदान की गणना निकटतम रुपये में की जाएगी (अर्थात .50 पैसे या उससे अधिक की गणना अगले पूर्ण रुपये में की जाती है तथा .50 पैसे से कम हिस्से को छोड देना है)

BVG India Limited Pune

(iv) अंशदान की गणना के उद्देश्य से वेतन निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाए अर्थात .50 पैसे अथवा अधिक की गणना एक रुपये के रुप में करे एवं .50 पैसे से कम को छोड दिया जाए।

टीप :- आपके यहाँ 20 या इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त होनेपर आपके द्वारा 12% अंशदान देना होगा।

(v) नियोक्ता प्राथमिक तौरपर दोनों अर्थात नियोक्ता का अंशदान एवं सदस्यों का अंशदान भुगतान करेगा।

(vi) ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में उन कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और ऐसा काटा गया कर्मचारीका अंशदान, समान राशि के साथ, प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित, मूल नियोक्ता को भुगतान करेगा।

(vii) मूल नियोक्ता उसके द्वारा नियुक्त तथा ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का अंशदान, स्वयं का अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहेगा।

(5) सदस्य को उसका वेतन भुगतान करने से पहले आप उसके वेतन में से कर्मचारी का अंशदान काटें एवं आपके स्वयं के अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार सहित प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अंदर भारतीय स्टेट बैंक/पुणे द्वारा अनुरक्षित निधि के खाते में समेकित चालान में निम्नांकित पध्दति से जमा करें।

टीप :- (i) परिवार पेंशन अंशदान मूलवेतन, महंगाई भत्ता (खाद्यान्न रियायत के नकद भुगतान सहित एवं अन्य भत्ते यदि हो) के 8.33% की दर से भविष्यनिधि अंशदान से अलग किया जाए। दि. 16/11/95 से कर्मचारी पेंशन निधि म अंशदान केवल नियोक्ता अंशदान में से 8.1/3% रहेगा।

(ii) प्रशासकीय प्रभार की दर वेतन के 1.10% अर्थात मूलवेतन, महंगाई भत्ता, खाद्यान्न रियायत के नकद भुगतान सहित एवं अन्य भत्ते यदि हो, रहेगी जो न्यूनतम रु. 5/- प्रतिमाह होगी।

(iii) यह ध्यान रखें कि, यदि सदस्यों के वेतन में से समय पर कटौती नहीं की गयी तो नियोक्ता को स्वयं दोनो अंश जमा करने होंगे क्योकि कर्मचारी के अनुवर्ती वेतन से पूर्वावधि के बकाया अंशदान की वसूली निषिध्द है।

(iv) 25-1-2000 से uptodate अवधि का समस्त अंशदान एवं प्रशासकीय प्रभार दि. within one month को या इससे पूर्व जमा करें।

(v) भुगतान के लिए चालान भारतीय स्टेट बैंक/क्षेत्रीय कार्यालय/भविष्यनिधि निरीक्षणालय से प्राप्त हो सकेंगे।

(vi) चैक/नकद राशि क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि खाता क्र. 1, 2, 10, 21 एवं 22 में चालान की 4 प्रतियों में भारतीय स्टेट बैंक/ पुणे की किसी भी शाखा में, जो आपकी स्थापना/फैक्ट्री को सुविधाजनक हो, जमा करे।

(क) भविष्यनिधि अंशदान (दोनो अंश, कर्मचारी एवं नियोक्ता) कर्मचारी भविष्यनिधि खाता क्र. 1 में जमा किया जाना है।

(ख) प्रशासकीय प्रभार कर्मचारी भविष्यनिधि खाता क्र. 2 में जमा किया जाना है।

(ग) पेंशन अंशदान (दि. 16-11-95 से केवल नियोक्ता के अंशदान मे से ही 8.1/3%) कर्मचारी पेंशननिधि खाता क्र. 10 में जमा किया जाना है।

(6) खाता क्र. 1,2 एवं 10 में राशि जमा करने के अलावा (जैसाकी ऊपर स्पष्ट किया गया है), आपको खाता क्र. 21 एवं 22 में कर्मचारी निक्षेप सहबध्द बीमा योजना 1976 के अंतर्गत प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अंदर निम्नांकित पध्दति से राशि जमा करना वांछित है।

(i) निक्षेप सहबध्द बीमानिधि खाता क्र. 21 -

इस खाते में 0.5% अंशदान जमा किया जाना है जो मूल वेतन, महंगाई भत्ता (खाद्यान्न रियायत के नकद भुगतान सहित) एवं अन्य भत्ते यदि हों, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को देय हो का औसतन होगा।

(ii) क्षेत्रीय बीमानिधि प्रशासन खाता क्र. 22 -

इस खाते में 0.01% प्रशासकीय प्रभार जमा किया जाना है जो मूल वेतन, महंगाई भत्ता (खाद्यान्न रियायत के नकद भुगतान सहित) एवं अन्य भत्ते यदि हो, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों देय हो का औसतन होगा।

(7) उपर्युक्त खातों में जैसे 1, 2, 10, 21, एवं 22 में चालान द्वारा राशि जमा की जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त की गई राशि के चालान की प्रति फार्म नं. 12ए के साथ संलग्न कर (निम्नानुसार) इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(8) निम्नलिखित विवरणियाँ अनुरक्षित/प्रेषित करना आपसे अपेक्षित है।

(i) क. भ. नि. योजना, 1952 के अंतर्गत फार्म नं. 9 -

यह उन कर्मचारियों के संबंध में एक ही बार इस कार्यालय को प्रस्तुत करना है जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत फैक्ट्री/स्थापना की व्याप्ति दिनांक से दी जाना अपेक्षित है अथवा सदस्यता की पात्रता है।

BVG India Limited Pune

(ii) क. भ. नि. योजना, 1952 एवं कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत फार्म नं. 2 -

यह फार्म प्रत्येक सदस्य से प्राप्त कर इसे कार्यालय को प्रस्तुत करना है।

(iii) फार्म नं. 5 ए -

यह फार्म इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है। स्वामित्व के बारे में किसी अनुवर्त्ती परिवर्तन की सूचना इस फार्म द्वारा इस कार्यालय को भजी जानी है।

(iv) फार्म नं. 3 ए -

यह फार्म प्रत्येक सदस्य के संबंध में फैक्ट्री/स्थापना में अनुरक्षित किया जाना है।

(v) फार्म नं. 6 ए -

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के अंदर फार्म नं. 3 ए के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

(vi) फार्म नं. 12 ए -

यह अंशदान की मासिक विवरणी है एवं पुष्टि के लिए बैंक में जमा की गई राशि के चालान की प्रति के साथ आगामी माह की 25 तारीख तक इसी कार्यालय में जमा की जानी है।

(vii) फार्म नं. 5 एवं 10 -

यह उन कर्मचारियों की विवरणी है जो हर माह में नये सदस्य बनते हैं अथवा नौकरी छोडते है। यह आगामी माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

(9) कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना एवं निक्षेप सहबध्द बीमा योजना के निर्धारित समस्त फार्म भविष्यनिधि निरीक्षणालयों में उपलब्ध है एवं आपके मांगपत्र प्राप्त होने पर प्रदान किए जाएंगे।

(10) इसके अलावा आपकी स्थापना में प्रथम नियुक्ति पानेवाले प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र 11 में यह घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए कि क्या वह पूर्व में निधि का अथवा छूट प्राप्त निधि का सदस्य था अथवा नहीं था।

(11) प्रवर्तन अधिकारी द्वारा आपकी स्थापना के निरीक्षण के दौरान किए गए अवलोकन की जानकारी के लिए निम्नांकित प्रारुप में निरीक्षण नोट बुक भी अनुरक्षित करनी चाहिए।

निरीक्षण नोट बुक

1) प्रवर्तन अधिकारी का नाम
2) निरीक्षण दिनांक
3) खातों के जाँच की अवधि
4) अवलोकन टिप्पणी

आपको प्रवर्तन अधिकारी की अभ्युक्ति का अनुपालन 15 दिन के अंदर ही कर देना चाहिए अन्यथा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निरीक्षण पुस्तिका में इसका उल्लेख किया जाएगा।

(12) यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि, देयराशि का भुगतान निर्धारित समय में किया जाए। विलंबित भुगतान के लिए कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के अंतर्गत उल्लेखित कार्रवाई के अलावा व्याप्ति पूर्व अवधि के लिए क्षतिमूल्य आरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देय राशि के भुगतान नहीं करने एवं विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करने बाबत अभियोजन प्रकरण भी दायर किया जा सकता है।

(13) स्थापना के मुख्यालय/शाखा (फैक्ट्री/गैर फैक्ट्री) में खातों का अनुरक्षण, उत्पादन कार्यकलापों से संबंधित प्रासंगिक क्रय-विक्रय का कार्य करने वाले कार्यरत कर्मचारी भी कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2-ए के आधार पर व्याप्ति योग्य हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि, 15 दिन के अंदर ऐसे मुख्यालय या विभागों या शाखाओं के नाम एवं विस्तृत पते सूचित करे। यदि आपके ऐसे विभाग या शाखाए, विक्रय कार्यालय आदि नहीं है तो ''शून्य'' लिखकर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। उपर्युक्त जानकारी संलग्न प्रारुप 'ए' में प्रेषित की जानी चाहिए।

(14) फैक्ट्री/स्थापना में यदि आपकी कोई भविष्यनिधि (योजना) प्रभावी हो तो कृपया सूचित करें। अधिनियम की धारा 15 एवं कर्मचारी भविष्यनिधि योजना के पैरा 28 के अनुसार कृपया व्याप्त कर्मचारियों के खाते में संचित जमा राशि स्थापना पर भविष्यनिधि अधिनियम लागू होने के 10 दिन के अंदर कर्मचारी भविष्यनिधि में अंतरित करें। यदि आपकी कोई भविष्यनिधि (योजना) प्रभावी नहीं है तो कृपया ''शून्य'' अंकित कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

(15) कृपया फार्म नं. 5 ए (संशोधित) (नमूना संलग्न) में स्वामित्व का विवरण दर्शाते हुए विवरणी तत्काल प्रस्तुत करें।

(16) यदि योजना के प्रावधानों को लागू करने में आपको कोई कठिनाई हो तो आपके किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि को इस कार्यालय में भेज सकते हैं जिन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा।

BVG India Limited Pune

(17) समय-समय पर इस कार्यालय द्वारा जारी अनुदेशों की प्रतियाँ मार्गदर्शन के लिए अलग से भेजी जा रही हैं।

(18) कृपया पत्र की पावती भेजें।

संलग्न :- नियोक्ता मार्गदर्शिका

भवदीय

(T.M. ADIGA) 18/2

क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त
उपक्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

प्रतिलिपि :-

श्री / श्रीमती V.D. Jawale प्रवर्तन अधिकारी III को उनकी दि. 7/2/2000 की रिपोर्ट के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-। -उन्हें सलाह दी जाती है कि, वे उक्त स्थापना का दौरा करें एवं सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के विषय में नियोक्ता को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंवे 3 माह के अंदर उक्त स्थापना की स्थाई व्याप्ति के लिए अपनी अनुशंसा भी प्रस्तुत करें।

कृते क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त
उपक्षेत्रीय कार्यालय, पुणे

BVG India Limited Pune